



## मूल वाद में डिक्री

(ऑर्डर 20 अल 6-7 सी.पी.सी.)

### न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी: रामकिशोर मीना, आर.ए.एस.

1. रमाकान्त पुत्र स्व. प्रेमचंद उम्र 40 साल,

2. लक्ष्मीकान्त पुत्र स्व. प्रेमचंद उम्र 37 साल,

दोनों जाति ब्राह्मण निवासी बिचपुरी, तहसील बामनवास,

बनाम

वादीगण

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बामनवास,

प्रतिवादी


### वाद पत्र बावत इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 14/2018

वादीगण के अधिवक्ता उपस्थित, प्रतिवादी स्वयं उपस्थित, यह वाद आज दिनांक 6.3/2018 को मुझ पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादीगण का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी आराजी हाल खसरा नम्बर 1792 रकवा 0.73 हैक्टेयर स्थित ग्राम बाढ़ रघुनाथपुरा तहसील बामनवास में किस्म के बारे में हो रहे इन्द्राज गैरमुमकिन नले के स्थान पर उसे संशोधित करते हुए बंजड़ दर्ज करें तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह उक्त वर्णित आराजी के संदर्भ में वादीगण के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करे ।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज

दिनांक 6.3/2018 को जारी की गई ।

  
उप जिला कलेक्टर  
बामनवास (स० मा०)  
(रामकिशोर मीना)  
उपखण्ड अधिकारी  
बामनवास

वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प अर्जीदावा	
स्टॉम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
बावत इजराय हुक्मनामा		फीस कमिश्नर	
मुतफरिंक		इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिंक	
योग		योग	